

पत्रांक: जी.एस.टी./2021-22/फाइल सं0-509/

65

/वाणिज्य कर

कार्यालय -कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी .अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2022

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 44 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2020-21 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान करती हैं।

2- यह अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त, 2021 से लागू मानी जायेगी।

आज्ञा से,

  
(मिनिस्ती एस.)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।